

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 07/09/2018

कमांक एफ 04-01/2006/सत्रह/मेडि-1:: इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 23.05.2009 द्वारा विभागीय आदेश कमांक एफ 4-1/2008/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 26.08.2008 के अनुसार चिकित्सक तथा विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों को चार स्तरीय वेतनमान, आदेश जारी होने की दिनांक से स्वीकृत करना था, को न करते हुये नियुक्ति दिनांक से गणना कर काल्पनिक नियुक्ति मानते हुये योजना का लाभ दिनांक 26.08.2008 से दिया गया, जिसके फलस्वरूप चार स्तरीय वेतनमान की वसूली मय ब्याज सहित की स्थिति निर्मित हुई।

प्रकरण में यथोचित विचार किये जाने के उपरान्त प्रकरण में निम्न निर्देश दिए जाते हैं:-

1. वसूली राशि में सम्मिलित ब्याज की राशि Waive-off की जाए।
2. दिनांक 20.12.2017 तक मृत चिकित्सकों से यदि कोई राशि समयमान वेतनमान के निर्धारण/गणना में त्रुटि के फलस्वरूप वसूली हेतु शेष है तो ऐसी राशि को Waive-off किया जाए।

यह आदेश वित्त विभाग की टीप जावक कमांक 1344/719/18/नियम-चार दिनांक 07.07.2018 द्वारा प्रदान की गई सहमति के अनुसरण में जारी किया गया है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भागीरथ सुनहरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 07/09/2018

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
11 SEP 2018
5290
आयक क्र.

पृ. कमांक एफ 04-01/2006/17/मेडि-1
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म0प्र0 शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
3. सचिव (समन्वय), मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय ।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, योजना, आर्थिक, सांख्यिकी विभाग, भोपाल ।
7. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा/भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास/गृह/जेल विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
8. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर ।
10. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश की ओर अग्रेषित करते हुये अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।

//2//

17 SEP 2018

//2//

11. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
 12. संचालक, संचालनालय पेंशन, कार्यालय, भोपाल ।
 13. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल ।
 14. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
 15. समस्त संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा/पेंशन, मध्यप्रदेश ।
 16. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
 17. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
 18. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
 19. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
 20. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
 21. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश ।
 22. आदेश नस्ती ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित ।


22/9/2018
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग